प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 16.04.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये हत्या के प्रयास में पंजीकृत अभियोग में 01 नफर अभियुक्त को मय 01 अदद नाजायज चाकू के किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0142/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 14.04.2025 को वादी श्री साहब लाल पुत्र श्री लालता प्रसाद निवासी ग्राम सिंहपुर रसवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर देकर बताया गया कि दिनांक 12.04.2025 को समय लगभग रात्रि 8.30 बजे ग्राम गढ़ेवा में शराब के ठेके के पास से वादी के बेटे अरविन्द कुमार को सोनू ठाकुर पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर रसवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया था। उक्त सोनू ठाकुर ने जान से मारने की नियति से वादी के पुत्र के पेट व जांघ पर चाकू से कई वार किये, जिससे वादी के पुत्र की आंत बाहर निकल आयी व वादी के पुत्र को मरा हुआ समझ कर गम्भीर हालत में पास के गांव मदारपुर थाना रसूलाबाद में सोनू ठाकुर द्वारा फेंक दिया गया। जिसके बाद एम्बुलेंस द्वारा वादी के पुत्र अरविन्द कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झींझक जनपद कानपुर देहात में प्राथमिक उपचार के पश्चात हैलेट अस्पताल, कानपुर नगर रेफर किया गया था। वादी द्वारा अपने पुत्र का उपचार जे.एस.केयर हॉस्पिटल कल्यानपुर, कानपुर नगर में कराया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0142/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम 01 नफर अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ अमित सिंह पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर रसवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त सोनू सिंह उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 15.04.2025 को समय 18.45 बजे ग्राम बिरिया गढ़ेवा व मदारपुर के बीच सड़क के किनारे से मय 01 अदद मोटर साइकिल बजाज CT 100 नम्बर GJ 03 LA 4470 के गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त की निशादेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 एक अदद नाजायज चाकू ग्राम बिरिया गढ़ेवा व मदारपुर के बीच सड़क के किनारे बाजरे के पुआल के पास से बरामद किया गया। जिसके आधार पर मुकदमा

उपरोक्त में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त मोटर साइकिल के विषय में अभियुक्त सोनू उपरोक्त के द्वारा कोई कागजात न दिखा पाने पर मोटर साइकिल को मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत सीज करने की कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सोनू सिंह उर्फ अमित सिंह पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर रसवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ अमित सिंह उपरोक्त की निशादेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0530/2020 धारा 307 भादवि0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0142/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आयुध अधिनियम थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विमल कुमार सिंह
2. हे0का0 361 सुबोध कुमार
3. हे0का0 563 बृजपाल सिंह
4. हे0का0 16 रूप सिंह
5. का0 205 अनूप कुमार